न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दूदू

बइजलास :– डॉ. अर्तिका शुक्ला (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 53/2017 पुनः दर्ज नम्बर 01/2023 (रसद अपील)

नन्दकिशोर शर्मा पुत्र श्री बंशीलाल, प्राधिकृत विक्रेता उचित मूल्य दुकान फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू ।

(अपीलार्थी)

बनाम

जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय जयपुर राजस्थान

(प्रत्यर्थी/विपक्षी)

अपील अन्तर्गत धारा 22 (1) (2) राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 विरूद्व आदेश जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय के प्रकरण संख्या 123/2016 निर्णय दिनांक 8.11.2017 जिसके द्वारा अपीलार्थी की उचित मूल्य की दुकान का प्राधिकार पत्र निरस्त कर धरोहर राशि 1000/--रूपये जब्त सरकार करने के आदेश पारित किया गया।

उपस्थित :–

1. श्री नन्दकिशोर शर्मा उचित मूल्य दुकानदार स्वंय अपीलार्थी ।
2. जिला रसद अधिकारी दूदू प्रत्यर्थी/विपक्षी की ओर से ।

न्यायालय जिला कलक्टर दूदू (राज0)

जिला कलक्टर
दूदू (राज0)

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय दिनांक :– 16.1.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी नन्दकिशोर शर्मा उचित मूल्य दुकानदार की उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत फागी वितरण केन्द्र वार्ड नम्बर 20 से 23 उपखण्ड फागी का प्राधिकार पत्र निरस्त कर धरोहर राशि 1000/– रूपये जब्त सरकार करने के आदेश से व्यथित होकर अपील पेश की गई है।

2. यह अपील जिला कलक्टर जयपुर से नवसृजित जिला दूदू के क्षैत्राधिकार की होने से पत्रावली जिला कलक्टर जयपुर से इस न्यायालय में स्थानान्तरित होने से अपील पुनः दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी/प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया। तहत रिकार्ड पूर्व से ही संलग्न पत्रावली है। प्रत्यर्थी की और से जिला रसद अधिकारी दूदू उपस्थित है। अपीलार्थी स्वंय उपस्थित है।

3. बहस उभयपक्ष सुनी गई।

4- अपीलार्थी ने अपील के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी उचित मूल्य दुकानदार की उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत फागी वितरण केन्द्र वार्ड संख्या 20 से 23 उपखण्ड फागी जिला दूदू का प्राधिकार धारक दुकानदार है, जिसे राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के प्रावधानो के तहत प्राधिकार पत्र मिला हुआ था । अपीलार्थी उक्त आदेश 1976 एवं प्राधिकार पत्र की शर्तो व निर्बन्धनों सरकार के अधिसूचित आदेशो एव सक्षम अधिकारियों के निर्देशानुसार उचित मूल्य की वस्तुओ का वितरण नियमानुसार करता हूँ। दिनांक 23.1.2016 को प्रवर्तन अधिकारी फागी द्वारा 776 लीटर केरोसीन तेल का दुरूपयोग किया जाना बताकर मेरे विरूद्व कार्यवाही कर जिला रसद अधिकारी महोदय ने दिनांक 8.11.2017 को आदेश पारित कर मेरे प्राधिकार पत्र को निरस्त कर दिया गया है,अपीलार्थी को सुनवाई का मौका ही नही दिया गया। एकतरफा आदेश पारित कर दिया गया है। प्राधिकार पत्र निरस्त होने से अपीलार्थी के परिवार पर रोजी रोटी का संकट है। अपीलार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य दस्तावेज पेश करने का मौका ही नही दिया गया है। इसलिए अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.11.2017 को अपास्त फरमाया जाकर प्राधिकार पत्र एवं प्रतिभूति राशि बहाल किये जाने के आदेश फरमावे।

5. प्रत्यर्थी/प्रतिवादी की और से जिला रसद अधिकारी दूदू ने अपीलार्थी के तर्को का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी को निलंबित किये जाने के बाद भी सम्बद्व उचित मूल्य दुकान को स्टॉक का हस्तानान्तरण नही किया गया एवं निलम्बन के बावजूद भी माह सितम्बर, अक्टूबर का थोक विक्रेता केरोसीन से केरोसीन प्राप्त कर जिसमे से 224 लीटर का पोस मशीन से वितरण किया जाना बताया है लेकिन शेष 776 लीटर केरोसीन का वितरण रजिस्टर से किया जाना बताया है। नियमानुसार वितरण केवल पोस मशीन से ही किया जाना था इस प्रकार डीलर ने 776 लीटर केरोसीन तेल का दुरूपयोग किया गया है। इसलिए

जिला कलक्टर
दूदू (राज0)

Scanned with OKEN Scanner

जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा पारित आदेश उचित है । अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

6 उभयपक्ष की बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया । पत्रावली का भलीभॉती अवलोकन किया गया।

7. अपीलार्थी पर मुख्य आरोप है कि उसने 776 लीटर केरोसीन तेल का दुरूपयोग किया है। जबकि अपीलार्थी का कथन है कि उसको साक्ष्य दस्तावेज पेश करने का मौका नही दिया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने एकतरफा आदेश पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर अपीलार्थी की उपस्थिति के हस्ताक्षर तो है लेकिन जवाब/दस्तावेजात उपलब्ध नही है। इसलिये अपीलार्थी को सुना जाना न्यायहित में उचित मानते हुए, अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझते है।

8. जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.11.2017 को निरस्त किया जाता है अपीलार्थी डीलर का प्राधिकार पत्र व धरोहर राशि बहाल किये जाने का आदेश दिये जाते है।

9. जिला रसद अधिकारी दूदू को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि यदि कोई अनियमितता मानते है, तो प्रकरण में पुनः जॉच कराकर एवं अपीलार्थी को सुनवाई एव साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करे।

10. निर्णय की प्रति मय मिसल मातहत जिला रसद अधिकारी दूदू को प्रेषित हो। पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

11. निर्णय आज दिनांक 16.01.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 अर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर
दूदू (राज0)

न्यायालय जिला कलक्टर (राज0)